शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 6/2020/बी-2-/दस-2020-आर-2/2016टी.सी.

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव,
श्री राज्यपाल।
3. प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 07 फरवरी , 2020

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों के लेखा मिलान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-टी.एम.-II/ग्रुप-4/लेखामिलान/एफ.-18/99182, दिनांक 22.02.2020 द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आंकड़ों के त्रैमासिक लेखा मिलान की प्रक्रिया के क्रम में माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर,2019 तक के लेखांकित प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का विभागीय आंकड़ों से मिलान के लिये **दिनांक 12 फरवरी, 2020 से 18 मार्च, 2020** तक की अवधि निर्धारित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे वित्तीय वर्ष 2019-2020 के तृतीय त्रैमास (माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर,2019) के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा मिलान कार्य संलग्न निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित करायें तथा जिस समय लेखा मिलान दल, लेखा मिलान हेतु महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद जायें तब वे अपने साथ डी.डी.ओ.रिकन्सीलियेशन शीट एवं मासिक व्यय विवरण (बी.एम.-4 एवं बी.एम.-13) ले जाना सुनिश्चित करें ताकि लेखा मिलान में पायी जाने वाली विसंगतियों के समायोजन हेतु प्रस्ताव, सक्षम अधिकारी को उसी समय उपलब्ध करा दिये जायें।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-81 एवं 83 में अपने विभाग की योजनाओं से सम्बन्धित लेखाशीर्षों के व्यय के आंकड़ों का मिलान कार्य भी नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के साथ ही सुनिश्चित कराया जायेगा। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा समयानुसार लेखा मिलान पूर्ण नहीं कराने पर उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा और महालेखाकार द्वारा पुस्तांकित आंकड़ें अन्तिम समझे जायेंगें।

...../2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- लेखा मिलान हेतु यदि किसी विभाग का नाम संलग्न सूची में अंकित होने से रह गया है, तो ऐसे विभाग अपने विभाग का लेखामिलान कार्य **दिनांक 18-03-2020** को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि लेखा मिलान कार्य की उक्त प्रक्रिया में कोई कठिनाई होने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी महालेखाकार कार्यालय के सक्षम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2020/बी-2-33(1)/दस-2020-आर-2/2016 टी.सी., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष एवं वी.एल.सी., कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पत्र संख्या टी.एम.-II/ग्रुप-4/लेखामिलान/एफ.-18/99182, दिनांक 22.01.2020 के संदर्भ में ।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (राजकोष) कार्यालय महालेखाकार, (लेखा व हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

...../3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 6/2020/बी-2-33/दस-2020-आर-2/2016 टी.सी., दिनांक 07 फरवरी, 2020

वित्तीय वर्ष 2019-2020 से सम्बन्धित माह सितम्बर, 2019 से दिसम्बर,2019 तक के विभागीय प्राप्तियों एवं भुगतानों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से तिथिवार मिलान हेतु कार्यक्रम।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
1.	आबकारी	12.02.2020
2.	आवास	
3.	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन/खानें और खनिज/ खादी एवं ग्रामोद्योग/हथकरघा उद्योग/भारी एवं मध्यम उद्योग/मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	
4.	आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग	13.02.2020
5.	ऊर्जा	
6.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	
7.	रेशम विभाग	
8.	कृषि विभाग	14.02.2020
9.	परती भूमि विकास	
10.	समन्वय विभाग	
11.	कृषि विपणन विभाग	
12.	भूमि विकास एवं जल संसाधन	17. 02.2020
13.	ग्राम्य विकास विभाग	
14.	भूगर्भ जल विभाग	
15.	लघु सिंचाई	
16.	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	18. 02.2020
17.	पंचायती राज विभाग	
18.	पशुधन	
19.	दुग्ध विकास	19. 02.2020
20.	मत्स्य	
21.	सहकारिता	
22.	कार्मिक एवं नियुक्ति	20. 02.2020
23.	खाद्य एवं रसद	
24.	खेल एवं युवा कल्याण	
25.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	
26.	गृह (कारागार)	24. 02.2020
27.	गृह (पुलिस)	
28.	नागरिक सुरक्षा	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
29.	राजनीतिक पेंशन	25. 02.2020
30.	गृह (गोपन)	
31.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	
32.	परिवार कल्याण विभाग	
33.	चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी)	26. 02.2020
34.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी	
35.	होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	
36.	खाद्य एवं औषधि प्रशासन	27. 02.2020
37.	नगर विकास	
38.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	
39.	नागरिक उड्डयन	
40.	भाषा	28. 02.2020
41.	नियोजन	
42.	निर्वाचन	
43.	न्याय	02.03.2020
44.	परिवहन	
45.	पर्यावरण	
46.	पर्यटन विभाग	
47.	प्रशासनिक सुधार	03.03.2020
48.	प्राविधिक शिक्षा	
49.	अल्प संख्यक कल्याण	
50.	महिला एवं बाल विकास	
51.	राजस्व	04.03.2020
52.	सहायता एवं पुर्नवास	
53.	राष्ट्रीय एकीकरण	
54.	लोक निर्माण	05.03.2020
55.	राज्य सम्पत्ति विभाग	
56.	वन	
57.	अपारम्परिक ऊर्जा (नेडा)	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	विभाग का नाम	मिलान करने की निर्धारित तिथि
58.	विधान परिषद सचिवालय	06.03.2020
59.	विधान सभा सचिवालय	
60.	विधायी एवं संसदीय कार्य	
61.	वित्त विभाग	
62.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग	11.03.2020
63.	बेसिक शिक्षा	
64.	माध्यमिक शिक्षा	
65.	उच्च शिक्षा	
66.	श्रम	
67.	सचिवालय प्रशासन	12.03.2020
68.	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
69.	विकलांग कल्याण	
70.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	
71.	समाज कल्याण	
72.	जनजाति कल्याण	13.03.2020
73.	सतर्कता विभाग	
74.	सामान्य प्रशासन	
75.	मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल)	
76.	सार्वजनिक उद्यम	
77.	सूचना	16.03.2020
78.	संस्थागत वित्त	
79.	स्टाम्प एवं पंजीयन	
80.	मनोरंजन कर	
81.	सैनिक कल्याण	17.03.2020
82.	व्यापार कर	
83.	सांस्कृतिक कार्य	
84.	सिंचाई	
	उक्त सूची के अतिरिक्त यदि कोई विभाग शेष हो	18.03.2020

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।